तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0सं0 07/2016 केवल बनाम आवंटन कमेटी बयाना एवं देवीलाल
8.3.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नोटिस क्रमांक 1058 दिनांक 14.12.2017 का अवलोकन किया गया। जिसकी पुस्त पर तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट क्रमांक 2492 अंकित है जिसमें अंकित किया गया है कि देवीलाल पुत्र हटीला फौत हो गया है। रिपोर्ट पर दो ग्रामवासियान के हस्ताक्षर भी मौजूद है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 फौत हो चुका है। वकील प्रार्थी द्वारा ऐसी स्थिति में अपने दायित्व का निर्भहन करते हुये तत्समय इसकी सूचना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आर्डर 22 रूल्स 4 सीपीसी के तहत न्यायालय हाजा को देनी चाहिऐ थी। गत पेशी दिनांक 24.1.2018 की रोशनी में वकील प्रार्थी को हिदायत भी दी गई थी कि वे कायम मुकामान की कार्यवाही कर सकते है। इस संदर्भ में वकील प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। वकील प्रार्थी की ओर से फौत हुये अप्रार्थी की सूचना न्यायालय हाजा को उपलब्ध न कराया जाना एवं ताकीद किये जाने के बाबजूद का0मु0 की कार्यवाही न किये जाने स्थिति में प्रकरण मृत व्यक्ति के खिलाफ चलने योग्य नहीं रहता है। का0मु0 की की सूचना/कार्यवाही के अभाव में प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य ही रहता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official